

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक  
कलक्टर, सिणधरी


क्रमांक:- ग्रा. से.शि / 2025 / 423

प्रकरण सं:- 283/2025  
दिनांक:- 28/10/25

आदेश



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पापलाकला व भू.अ. नि. पापलाकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कागों बीटा तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 30, 31, 32 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	<u>कागों बीटा</u>	30	457, 458	<u>कालूराम</u>	<u>महादेवराम</u>
		31	461, 462	शो	शो
		32	360, 371, 571	<u>किसनाराम</u>	<u>केहनाराम</u>

  
(समदरसिंह भाटी)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी  
दिनांक:- 28/10/25

क्रमांक:- सम. / 2025 / 424-426  
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पापलाकला रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
2. प्रार्थी महादेवराम केहनाराम पापलाकला तहसील सिणधरी को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सिणधरी